

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुंझुनू (राज0)
(प्रशासन गावों के संग अभियान 2021 फोलोअप कैम्प खानदवा)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 134/2022

GCMS NO- 2022/242

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

-उनवान-

मीलाधर पुत्र विशाल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना

-:निर्णय:-

दिनांक : 20-05-22

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार बुहाना व पटवारी हल्का खानदवा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम खानदवा की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>खानदवा</u>	<u>241</u>	<u>विशाल पुत्र शागज</u>	<u>विशाल पुत्र शागज</u>
		<u>18</u>	<u>विशाल पुत्र शागज</u>	<u>विशाल पुत्र शागज</u>
		<u>231</u>	<u>विशाल पुत्र कुट्टा</u>	<u>विशाल पुत्र शागज</u>



क्रमांक :- राजस्व/2022/ 153

प्रतिलिपि :-तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।

(सुनील कुमार चौहान)
प्रशासनिक अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज0)
दिनांक :- 20/05/22

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज0)